भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2154

14 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"शहरी गतिशीलता में परिवर्तन हेतु बैटरी स्वैपिंग"

2154. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैटरी स्वैपिंग शहरी गतिशलता में परिवर्तन ला देती है और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के समर्थन में परिवर्तन लाएगी;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) ने क्या पहलें की हैं;
(ग) क्या बैटरी स्वैपिंग से इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में वृद्धि होगी और यदि हां, तो सरकार इस मुद्दे से किस प्रकार निपटने का प्रस्ताव करती है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति लागू करने के लिए हितधारकों से परामर्श हेतु अपनी वेबसाइट पर एक नीति का मसौदा अपलोड किया है। बैटरी स्वैपिंग नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण होगा जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा।

बैटरी स्वैपिंग आमतौर पर छोटे वाहनों, जैसे- दुपहियों और तिपहियों के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें चौपहियों और ई-बसों की तुलना में छोटी बैटरियां होती हैं जिन्हें स्वैप करना आसान होता है, हालांकि वृहत्तर सेगमेंट के लिए भी समाधान सामने आ रहे हैं। बैटरी स्वैपिंग से चार्जिंग की तुलना में तीन प्रमुख लाभ हैं: इससे समय, स्थान और लागत की कम आवश्यकता होती है, बशर्ते प्रत्येक स्वैपेबल बैटरी का सक्रिय रूप से उपयोग हो।

(ग) और (घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी सहित अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2022 प्रकाशित की है।

इस नियमावली में, निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बेकार बैटरियों के पुनरोपयोग/नवीकरण के लिए बैटरी उत्पादकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचा प्रदान किया गया है। इसके अलावा, इस नियमावली में पुनरोपयोग कर्ताओं के लिए अपशिष्ट बैटरियों से सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत पुनर्प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

****